उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–1

संख्या 13/34/90–का–1/1994

लखनऊ : दिनांक 10 अक्टूबर, 1994

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

"उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 1994"

संक्षिप्त नाम प्रारम्भ और लागू होना

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 1994 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) यह किसी पद पर या सेवा में, जिसके लिए समय-समय पर यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 के अधीन पदोन्नति करने में अनुपालन किये जाने वाले सिद्धान्तों पर लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अपेक्षित नहीं है, पदोन्नति द्वारा भर्ती के सम्बन्ध में लागू होगी।

अध्यारोही प्रभाव

2—यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाई गयी किसी नियमावली, या तत्समय प्रवृत्त किन्हीं आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होगी।

परिभाषायें

3—जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो–

(क) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है,

(ख) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(ग) "पद या सेवा" का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल की नियम बनाने की शक्ति से अधीन किसी पद या सेवा से है।

पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मापदण्ड

4—विभागाध्यक्ष के पद पर, विभागाध्यक्ष से ठीक एक पंक्ति नीचे के पद पर और किसी सेवा के ऐसे पद, जिसके वेतनमान का अधिकतम 6700 रुपये या इससे अधिक हो, पदोन्नति द्वारा भर्ती, योग्यता के आधार पर की जायेगी, और सभी सेवाओं के पदोन्नति से भरे जाने वाले शेष पदों, जिसमें ऐसा पद, जहां पदोन्नति किसी अराजपत्रित पद से किसी राजपत्रित पद पर या एक सेवा से दूसरी सेवा में की जाय, भी सम्मिलित है, पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

आज्ञा से,

आर० बी० भास्कर,

सचिव।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 11 सा० नियुक्ति—2-2-2001—(6034)—5,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।